तत्काल/
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 18 (2) शिक्षा–4/2014 Reservation जयपुर, दिनांकः 07,मार्च, 2019

1 कुलसचिव,
राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

2 आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुर।

विषयः–***अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु।***

संदर्भः–कार्मिक (क–2) विभाग का आदेश क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में हैं।

इस संबंध में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण में पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त प्रावधानानुसार अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्तियों और पदों मे आरक्षण एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में भी **05 प्रतिशत आरक्षण** नियमानुसार तत्काल प्रभाव से दिया जावे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही कार्मिक विभाग के निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. राजेन्द्र जोशी),
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को कार्मिक विभाग की अधिसूचना को संलग्न कर पूर्ण पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त शासन सचिव, कृषि विभाग,
2 संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग,
3 संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग
4 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
5 संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग,
6 संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग,
7 संयुक्त शासन सचिव, खेल विभाग,
8 संयुक्त शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

!!उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, मुख्य भवन द्वितीय तल कमरा नं0 1218, शासन सचिवालय, जयपुर!!
{ईमेल–jshegr4@gmail.com दूरभाष–0141–2227017 'आई.पी.–24840'} (GL RS)

Scanned by CamScanner

उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक ...1192...
दिनांक ...6/3/19...

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः– अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग की अधिसूचना दिनाक 13.02.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा अति पिछडे वर्गो के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण पांच प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त प्रावधानानुसार अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्तियों और पदों में आरक्षण एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश मे भी 05 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार दिया जाना है।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि अति पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश मे 05 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देश प्रदान कर, इसकी क्रियान्विति शीघ्र करवाने का श्रम करें।

~~संलग्नः– उपरोक्तानुसार~~।

(रोली सिंह) 27/2/19.
प्रमुख शासन सचिव

CCE
JSHE

1/3/19

अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
1. शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
2. संस्कृत शिक्षा विभाग
3. उच्च शिक्षा विभाग
4. तकनीकी शिक्षा विभाग
5. चिकित्सा शिक्षा विभाग
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7. कृषि विभाग
8. आयुर्वेद विभाग
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
10. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...1031...
दिनांक ...5/3/19...

अशा0 टीप सं0 प0 प. 7(1)कार्मिक/क–2/17
जयपुर, दिनांकः 28 FEB 2019

Scanned by CamScanner

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 24, बुधवार, शाके 1940–फरवरी 13, 2019 *Magha 24, Wednesday, Saka 1940- February 13, 2019*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 13, 2019

संख्या प.2(12)विधि/2/2019:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)

Scanned by CamScanner

अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 13, 2019

No. F. 2(12)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of Rajasthan Pichhada Varg (Rajya Ki Shaikshik Sansthaon Mein Seeton Aur Rajya Ke Adheen Sevaon Mein Niyuktiyon Aur Padon Ka Aarakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 2):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) (AMENDMENT) ACT, 2019
(Act No. 2 of 2019)

[Received the assent of the Governor on the 13th day of February, 2019]

Scanned by CamScanner

An

Act

further to amend the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 38 of 2017.-** For the existing sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (Act No. 38 of 2017), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for the More Backward Classes shall be five percent.".

3. **Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 38 of 2017.-** For the existing sub-section (1) of section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(1) The reservation of appointments and posts in the services under the State for the More Backward Classes shall be five percent.".

महावीर प्रसाद शर्मा,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Scanned by CamScanner